

2025/714

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर

व इजलास- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

श्रीराम

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट

प्रकरण संख्या :- 474/2025

--:आदेश:-

दिनांक:- 17/09/25

प्रार्थी श्रीराम पुत्र श्री हरसुखराम जाति विश्नोई निवासी रामनगर तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जांच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा ने अवगत करवाया है कि राजस्व ग्राम रणसीगांव की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 112 के खसरा नंबर 283/3 में दर्ज अशुद्ध नाम शिवराम पुत्र हरसुखराम जाति विश्नोई निवासी रामनगर का शुद्ध विवरण श्रीराम पुत्र हरसुखराम जाति विश्नोई निवासी रामनगर की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरे। पत्रावली फ़ैसल थुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

मृदुला शेखावत  
(मृदुला शेखावत)  
उपखण्ड अधिकारी,  
इस बिलाडा अधिकारी  
बिलाडा

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बिलाडा जिला जोधपुर  
व इजलास- मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

प्रार्थी  
श्रीराम

बनाम

अप्रार्थी

सरकार

किस्म मुकदमा 136 एल.आर.एक्ट


प्रकरण संख्या :- 474/2025

-::आदेश::-

दिनांक:- 17/09/25

प्रार्थी श्रीराम पुत्र श्री हरसुखराम जाति विश्नोई निवासी रामनगर तहसील बिलाडा, जिला जोधपुर, राज. ने एक प्रार्थना पत्र बाबत राजस्व रेकॉर्ड में नाम दुरुस्ती का पेश किया है। प्रार्थना पत्र को जांच हेतु तहसीलदार बिलाडा को भेजा जावे।

तहसीलदार बिलाडा से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार बिलाडा ने अवगत करवाया है कि राजस्व ग्राम रणसीगांव की जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 के खाता सं. 112 के खसरा नंबर 283/3 में दर्ज अशुद्ध नाम शिवराम पुत्र हरसुखराम जाति विश्नोई निवासी रामनगर का शुद्ध विवरण श्रीराम पुत्र हरसुखराम जाति विश्नोई निवासी रामनगर की राजस्व रेकॉर्ड में शुद्ध किये जाने हेतु सहमत है। अतः जांच रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है। अतः तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि वो उपरोक्तानुसार शुद्धि का नामान्तरकरण भरे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

  
(मृदुला शेखावत)  
उपखण्ड अधिकारी,  
एवं उपबिलाडा अधिकारी  
बिलाडा